भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2309
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः घरेलू अपशिष्ट से जैविक खाद
2309. श्री अरुण गोविलः
क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या प्रतिदिन घरों में बर्बाद हो रहे फलों और सब्जियों के छिलकों से हजारों टन जैविक खाद बनाई जा सकती है; और
(ख) क्या सरकार इस संबंध में कोई योजना बना रही है ताकि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें और कृषि क्षेत्र में स्टार्ट-अप शुरू करके किसानों को लाभ पहुंचाया जा सके?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): जी हां। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने सूचित किया है कि घरेलू कचरे से जैविक खाद बनाई जा सकती है और उसने इन कचरे से विभिन्न प्रकार के जैविक खाद/खाद जैसे कि फॉस्फोकम्पोस्ट, मैस्टिस वर्मीकम्पोस्ट, बायो-समृद्ध खाद, कम्पोस्ट तैयार करने की तकनीक विकसित की है। अधिक संतुलित पोषक तत्व प्राप्त करने के लिए घरेलू कचरे को खेत के कचरे, पशु खाद, कृषि प्रसंस्करण कचरे के साथ मिलाया जाता है। आईसीएआर इन सभी पहलुओं पर किसानों, युवा शहरी हितधारकों को शिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण भी देता है और फ्रंट-लाइन प्रदर्शन, जागरूकता कार्यक्रम आदि आयोजित करता है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) ने सूचित किया है कि स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू) के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधा, ट्रांसफर स्टेशन, कंपोस्टिंग संयंत्र, जैव-मीथेनेशन संयंत्र आदि के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न फलों और सब्जियों के छिलकों सहित कचरे के सभी अंशों के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए सहायता प्रदान की गई है। भारत सरकार नीति मार्गदर्शन, वित्तीय सहायता और तकनीकी सहायता प्रदान करके एसबीएम-यू के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रयासों का सहयोग करती है।

देश के शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न नगरपालिका ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) के वैज्ञानिक प्रसंस्करण के लिए 100% पृथक्करण (सूखा और गीला कचरा), डोर टू डोर कलेक्शन आदि के माध्यम से घरों से एकत्र किए गए गीले कचरे जिसमें फलों और सब्जियों के छिलके शामिल हैं, को कंपोस्टिंग प्लांट और बायो-मीथेनेशन प्लांट के माध्यम से संसाधित किया जाता है। हालाँकि, कम्पोस्ट प्लांट से उत्पादित जैविक खाद की मात्रा निर्धारित नहीं की गई है।

(ख): जी हाँ। वर्ष 2018-19 से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत "नवाचार और कृषि-उद्यमिता विकास" कार्यक्रम के तहत स्टार्ट-अप को सहयोग दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य वित्तीय सहायता प्रदान करके और देश में एक ऊष्मायन पारिस्थितिकी तंत्र का पोषण करके नवाचार और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देना है।

कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सेंसर के अनुप्रयोग सहित सटीक कृषि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), ड्रोन, फार्म मशीनीकरण, फसलोपरांत, खाद्य प्रौद्योगिकी और मूल्य संवर्धन, आपूर्ति श्रृंखला

और कृषि लोजिस्टिक और कृषि इनपुट, कृषि और जैविक खेती में अपशिष्ट से धन और हरित ऊर्जा, संबद्ध क्षेत्र (पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, आदि), माध्यमिक कृषि, आदि में स्टार्ट-अप शुरू किए जा रहे हैं।

उपर्युक्त कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स के कार्यान्वयन, सहायता और इनक्यूबेशन के लिए देश भर में पांच नॉलेज पार्टनर (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इनक्यूबेटर (आर-एबीआई) नियुक्त किए गए हैं।

कार्यक्रम के तहत स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यापार प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लॉन्च करने और व्यापार व्यवहार्यता प्राप्त करने के लिए अपने उत्पादों और संचालन को बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कार्यक्रम के तहत उद्यमियों को आईडिया/प्री सीड स्टेज पर 5.00 लाख रुपये और सीड स्टेज पर 25 लाख रुपये का अनुदान सहायता के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। 5000 से अधिक कृषि-स्टार्टअप्स को प्रशिक्षित किया गया है और जिनमें से 1708 स्टार्टअप को अनुदान सहायता के रूप में 122.50 करोड़ रुपये का वित्त पोषण किया गया है।

****